

फुर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी  
विराटनगर (जयपुर)

प्रय

66/2019

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>5-11-19 को एकोटिशन द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित करा गया। गत आदेश को पालना में दिनांक 28.11.19 को पेश है।</p>	<p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
<p>26-11-19 एकोटिशन को अहम अहम सुनी गयी। गते आदेश दिनांक 03-12-19 को पेश है तथा एक ही आदेश प्रकाश रहेगा।</p>	<p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
<p>03-12-19 एकोटिशन उप। बाद कल अगल फावली का आलोकन किया गया। सुनि प्रकरण में दिनांक 11-7-19 को अहम अहम अस्थापी निवेदन आदेश जारी किया गया है। अ: दोनो पक्षों को ताकतिल शल बाद अस्थापी निवेदन से पावद किया जाता है कि वे अकि ए.न. 176, 177, 178, 179, कुल मिला 210 रकबा 2.33 एके रक.न. 120, 57 किल 2 कुल रकबा 090 हे. कले गाव धीलेली नहलील विराटनगर के गाँवे की यथास्थिति बनाये रहे। फावली कल शुम्मे ठेका सुनि वला रहे। नम्बर से कर है। निर्णय सुनाया गया।</p>	<p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	

